ए जैन।

के. कन्नन जे. ***के समक्ष।***

फकीर चंद - *याचिकाकर्ता*

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य - *प्रतिवादी*

1990 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9800

12 मई, 2011

भारत का संविधान - अनुच्छेद 14 और 226/227 - दुकानें और वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम, 1958 - धारा 2 (iv) और 2 (xxv) - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 33 (सी) (2) - परिपत्र के आधार पर याचिकाकर्ताओं को ओवरटाइम भत्ता देने से इनकार कर दिया गया जबकि फील्ड ऑफिस, गोदामों आदि में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों को समान लाभ दिया गया - 1982 तक और फिर 1987 से फिर से ओवरटाइम भत्ता का भुगतान किया जा रहा है - भत्ता इस आधार पर वापस ले लिया गया कि कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति 1958 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया गया - अधिकरण के समक्ष दायर आवेदन जिसे खारिज कर दिया गया था - दिल्ली में अधिकरण के समक्ष इसी प्रकार का आवेदन दायर किया गया था जिसकी अनुमति दी गई थी - उक्त आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई लेकिन भारतीय खाद्य निगम याचिका से हट गया और दिल्ली में कर्मचारियों को लाभ की अनुमति दी गई।

कहा गया कि *अधिनियम* के तहत परिभाषित दुकान की परिभाषा

को इंट्रा ऑफिस सर्कुलर द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम एक संविधि का अधिनियमन है और सांविधिक निकाय को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कार्यालय के समतुल्य नहीं बनाया जा सकता। चूंकि अधिनियम की प्रयोज्यता के अपवाद का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के ओवरटाइम भत्ते के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 9)

आगे कहा गया कि एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम केवल भौगोलिक स्थानों पर अपने कर्मचारियों के लिए अपमानजनक अंतर नहीं कर सकता है। राज्य अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के नियम के तहत तर्कसंगतता और गैर-भेदभाव की कसौटी पर खरा उतरेगा।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ताओं के लिए विकास सिंह और एडवोकेट जगदेव सिंह के साथ सुरजीत सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता

गितीश भारद्वाज, अधिवक्ता, अरुण वालिया के लिए, अधिवक्ता, *प्रतिवादी नंबर 1 के लिए*

के. कन्नन, जे. (मौखिक)

1. ये सभी रिट याचिकाएं एक परिपत्र की वैधता के समान मुद्दे को संबोधित करती हैं, जिसके आधार पर भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा मांगे गए ओवरटाइम भत्ते को अस्वीकार कर दिया गया था, हालांकि इसका लाभ गोदामों में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों को दिया गया था। खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय आदि। यह एक स्वीकृत मामला है कि भारतीय खाद्य निगम के जिला

कार्यालय में कार्यरत सभी याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1982 तक ओवरटाइम भत्ते का भुगतान भी किया जा रहा था और वर्ष 1982 से 1987 के दौरान एक अंतराल के बाद इसे वर्ष 1987 में फिर से शुरू किया गया था । भत्ता इस आधार पर वापस ले लिया गया था कि कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते थे। यह सच है कि दिल्ली में कार्यालय कर्मचारियों के साथ किए गए इसी तरह के व्यवहार का भी विरोध किया गया था। कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा इसी तरह की शिकायत के साथ और उनके अनुरोध पर स्वतंत्र कार्यवाही भी की गई थी।

2. याचिकाकर्ताओं ने चंडीगढ़ में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत एक आवेदन के माध्यम से उन्हें अस्वीकृत मजदूरी की गणना करने की मांग की। यह फिर से रिकॉर्ड की बात है कि दिल्ली स्थित कार्यालय के कर्मचारियों ने भी दिल्ली में ट्रिब्यूनल के समक्ष इसी तरह के आवेदन दायर किए थे। दिल्ली में ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ताओं को ओवरटाइम भत्ते का हकदार घोषित करने वाले आवेदनों को अनुमति दे दी थी। चंडीगढ़ में ट्रिब्यूनल ने इसे खारिज कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन ने 1986 के सीडब्ल्यूपी संख्या 2469 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य निगम बाद में रिट याचिका से हट गया और ओवरटाइम के लाभ की अनुमति दी खाद्य निगम के कार्यालय में कर्मचारियों को विवादित अवधि के दौरान भत्ते।

3. जब दिल्ली में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष समानांतर कार्यवाही का तथ्य इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया, तो इस न्यायालय

(न्यायाधीश टीपीएस मान) ने भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। वह निर्देशों के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे और कहा था कि वे अभी भी अपनी योग्यता के आधार पर विवाद पर कायम रहना चाहते हैं और उन्हें स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस बात की जानकारी नहीं है कि सीडब्ल्यूपी नंबर 1892 में रिट याचिका कैसे और किन परिस्थितियों में दायर की गई। 1988 को वापस लिया हुआ मान कर ख़ारिज करने की अनुमति दी गई। मैंने वकील को गुण-दोष के आधार पर मामले पर बहस करने का निर्देश दिया था।

4. याचिकाकर्ताओं के पास संघर्ष करने के लिए दो मुद्दे थे, (i) कोई स्थापित अधिकार न होने पर भी धारा 33-सी(2) के तहत दावे की प्रयोज्यता और कोई स्थापित अधिकार न होने पर भी ओवरटाइम भत्ते की मांग करने का याचिकाकर्ताओं का अधिकार। विशेष पुरस्कार उन्हें उनका अधिकार प्रदान करता है और (ii) निगम के जिला कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों को फील्ड क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के बराबर ओवरटाइम भत्ते का दावा करने के लिए पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता या गोदाम.

5. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि धारा 33-सी(2) के तहत आवेदन पूर्व निर्णय के बिना स्वयं चलने योग्य नहीं है, यह सिद्धांत कुछ ज्ञात अपवादों को स्वीकार करता है। जब याचिकाकर्ता कुछ लाभों का दावा कर रहे थे जो उन्हें वर्ष 1982 तक मिल रहे थे और वे वर्ष 1987 के बाद भी उन्हें मिलते रहे, तो वे प्रबंधन द्वारा स्वयं किए गए उपचार के आधार पर धारा 33-सी(2) के तहत राहत की मांग कर रहे थे। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो उन्हें ओवरटाइम भत्ते देते हैं। यह महज आकस्मिक

हो जाता है कि क्या भारतीय खाद्य निगम उन्हें भत्ते देने से इनकार करने के लिए मुख्य कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र पर भरोसा करने का हकदार था। परिपत्र की वैधता केवल आकस्मिक है और इस तरह का आकस्मिक निर्णय धारा 33-सी(2) के तहत जांच की योजना के अंतर्गत आता है। इस बिंदु को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साहू मिनरल्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय-(1976) 3 एससीसी 93 में निपटाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि धारा 33-सी(2) इसके दायरे में उन श्रमिकों के मामले हैं जिन्होंने दावा किया है कि जिस लाभ के वे हकदार हैं, उसकी गणना धन के संदर्भ में की जानी चाहिए, यहां तक कि उस लाभ के अधिकार के माध्यम से भी जिसके आधार पर उनका दावा उनके नियोक्ता द्वारा विवादित है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम पीएसराजगोपालन आदि का मामला 1964 एआईआर 743, 1964 एससीआर (3) 140 इस हद तक चला गया कि "यहां तक कि अधिकार के अस्तित्व की जांच भी श्रम न्यायालय को सौंपे गए मुख्य निर्धारण के लिए आकस्मिक है धारा 33-सी(2) के तहत। धारा 33-सी(2) के तहत दावा स्पष्ट रूप से बताता है कि पैसे के संदर्भ में लाभ की गणना के बारे में प्रश्न का निर्धारण, कुछ मामलों में, जांच से पहले किया जाना चाहिए अधिकार का अस्तित्व और ऐसी जांच को मुख्य निर्धारण के लिए आकस्मिक माना जाना चाहिए जिसे उप-धारा (2) द्वारा श्रम न्यायालय को सौंपा गया है। जैसा कि मैक्सवेल ने देखा है "जहां एक अधिनियम एक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, वह निहित रूप से अनुदान भी देता है ऐसे सभी कार्यों को करने, या ऐसे साधनों को नियोजित करने की शक्ति, जो इसके निष्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।" हमें तदनुसार यह मानना चाहिए कि धारा 33-सी(2) उन श्रमिकों के मामलों को अपने दायरे में लेती है जिन्होंने दावा किया था कि जिस लाभ

के लिए उन्होंने हकदारों की गणना धन के रूप में की जानी चाहिए, भले ही लाभ का अधिकार जिस पर उनका दावा आधारित है, उनके नियोक्ताओं द्वारा विवादित है।"

6. गढ़वाल जल संस्थान बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देरहादून और एक अन्य MANU/UC/0033/2010 उपरोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करने और इसमें दिए गए कानून के निर्माण को मजबूत करने वाला मामला था। यह कुछ हद तक ऐसी ही स्थिति से निपटता है जिसमें पहले मौजूद लाभ को बाद में गुप्त कारणों से अस्वीकार कर दिया गया था। सामान्य कानून स्थापित करने के बाद कि गणना के लिए याचिका केवल पहले से ही न्यायनिर्णित अधिकारों के लिए संभव है, न्यायालय ने अपवाद को इस प्रकार चिह्नित किया: "लेकिन यहां, वर्तमान मामले में, प्रश्न थोड़ा अलग है और, प्रश्न यह है कि क्या कामगार उस लाभ को प्राप्त करने का अधिकार है जो पहले से ही विद्यमान था और जिसे गुप्त कारणों से श्रमिक को देने से इनकार कर दिया गया था। आगे सवाल यह है कि क्या ऐसा लाभ जो श्रमिक को अन्यथा प्राप्त होता और किसी गुप्त उद्देश्य से गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है, क्या श्रमिक को ऐसा करना चाहिए। धारा 10 के तहत या धारा 4-के के तहत औद्योगिक विवाद उठाकर किसी अन्य फोरम में स्थानांतरित किया जा सकता है या धारा 33-सी (2) के तहत सीधे श्रम न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।" तथ्यात्मक विवरण पर विचार करते हुए न्यायालय ने आगे कहा, "कर्मचारी ने उस वेतनमान के लाभ का दावा किया है जो एक जूनियर फिटर को दिया जा रहा था, जो काम वह कर रहा था। यह तथ्य पाया गया कि कर्मकार जूनियर फिटर का काम कर रहा था।" श्रम न्यायालय द्वारा सही होने के लिए किस तथ्य पर रिट क्षेत्राधिकार में इस

न्यायालय के समक्ष गंभीर रूप से विवादित नहीं किया गया है। श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों पर इस न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया गया है। दूसरे, इस स्तर पर यह मुद्दा है कि आवेदन तकनीकी रूप से सही है या नहीं कामगार को बाहर कर दिया जाना चाहिए और कामगार को उसी श्रम न्यायालय के समक्ष धारा 10 के तहत एक संदर्भ उठाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए और राज्य सरकार के समक्ष एक संदर्भ उठाने की कठोर प्रक्रिया से गुजरना, मेरे विचार से, उचित नहीं है। उपरोक्त में से, मजदूरी के भुगतान के लिए कामगार का दावा कायम करने योग्य था जिसके लिए वह वैध रूप से हकदार था और जो कि जूनियर फिटर के पद पर नियोक्ता द्वारा देय मजदूरी के लाभ से आ रहा था। मेरे विचार में, कामगार का आवेदन धारा 33-सी(2) के तहत विचारणीय था और श्रम न्यायालय ने वैध रूप से राशि की गणना तब की जब उसे पता चला कि कामगार जो रोजगार कर रहा था उसकी प्रकृति एक जूनियर फिटर की थी। नतीजतन, श्रम न्यायालय द्वारा की गई राशि की गणना, तथ्य के निष्कर्षों पर आधारित होने के कारण, कानून की किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।"

7. वर्तमान मामले में, ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता पहली बार ओवरटाइम भत्ते का दावा कर रहे थे और श्रम न्यायालय को निर्णय लेने की आवश्यकता थी। उन्हें पहले ही 1982 तक और फिर 1987 से लाभ मिल चुका था। अंतरिम अवधि के दौरान, उन्हें लाभ से वंचित कर दिया गया। जब श्रमिकों ने धारा 33-सी(2) के तहत याचिका दायर की और प्रबंधन ने कुछ अंतर-विभागीय परिपत्र के आधार पर उनके हक से इनकार कर दिया, तो यह निर्णय कि क्या परिपत्र उचित था, मजदूरी की गणना के लिए पूरी तरह

से एक व्यक्तिगत मुद्दा था। इसलिए, आवेदन पूरी तरह से रखरखाव योग्य था।

8. आगे देखने वाली बात यह है कि क्या उन व्यक्तियों के बीच ऐसा अंतर किया जा सकता है, जो जिला कार्यालय में काम कर रहे थे और जो व्यक्ति गोदामों और फील्ड क्षेत्रों में काम कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील धारा 2(iv) और 2(xxv) के तहत निहित परिभाषाओं पर भरोसा करते हैं जो क्रमशः "वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" और "दुकान" को परिभाषित करते हैं, जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

(iv) "वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" का अर्थ है कोई भी परिसर जहां लाभ के लिए कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय या पेशा चलाया जाता है, और इसमें पत्रकारिता या मुद्रण प्रतिष्ठान और परिसर शामिल हैं जिसमें बैंकिंग, बीमा, स्टॉक और शेयर, ब्रोकरेज या उत्पाद विनिमय का व्यवसाय होता है चल रहा है या जिसका उपयोग होटल, रेस्तरां, बोर्डिंग या भोजनालय, थिएटर, सिनेमा या सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थान या किसी अन्य स्थान के रूप में किया जाता है, जिसे सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस उद्देश्य के लिए एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान घोषित कर सकती है। इस अधिनियम का. (xxv) 'दुकान' का अर्थ है कोई भी परिसर जहां कोई व्यापार या व्यवसाय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की जाती हैं और इसमें कार्यालय स्टोर-रूम, गोदाम, बिक्री शामिल है-

डिपो या गोदाम, चाहे एक ही परिसर में हों या अन्यथा ऐसे व्यापार या व्यवसाय के संबंध में उपयोग किए जाते हों, लेकिन इसमें कोई वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या किसी कारखाने से जुड़ी दुकान शामिल नहीं है, जहां दुकान

में कार्यरत व्यक्तियों को श्रमिकों के लिए प्रदान किए गए लाभों की अनुमति है फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 (1948 का LXIII)।"

9. 'दुकान' की परिभाषा में यह देखा गया है कि इसका मतलब वह परिसर है जहां एक व्यापारी का व्यवसाय चल रहा है और जहां ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और इसमें कार्यालय भी शामिल हैं। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालय में कार्यरत थे। अधिनियम में क्या प्रावधान है और अधिनियम एक 'दुकान' को कैसे परिभाषित करता है, इसे एक इंट्रा-ऑफिस सर्कुलर द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की प्रयोज्यता स्वयं धारा 3 के तहत केवल "(ए) केंद्र राज्य सरकारों के कार्यालयों (वाणिज्यिक उपक्रमों को छोड़कर), भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी रेलवे प्रशासन या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए छोड़ दी गई है।" भारतीय खाद्य निगम को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यालय नहीं माना जा सकता। हालाँकि, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और एक वैधानिक निकाय को केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय के समकक्ष नहीं बनाया जा सकता है। यदि इन प्रावधानों के तहत अधिनियम की प्रयोज्यता के अपवाद का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो याचिकाकर्ताओं के ओवरटाइम भत्ते के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

10. संयोग से, इस मुद्दे को इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि कैसे निगम ने स्वयं खाद्य निगम के कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए दिल्ली में औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में ओवरटाइम भत्ते प्रदान करने की अनुमति दी है। भारत। कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम केवल भौगोलिक स्थानों के आधार पर

कर्मचारियों के साथ दुर्भावनापूर्ण भेदभाव नहीं कर सकता है। श्रमिकों की शिकायतों को एक स्थान पर संबोधित करने में उनका रुख अन्यत्र अपनाये जा सकने वाले रुख से भिन्न नहीं हो सकता। राज्य के एक साधन की सभी गतिविधियाँ अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के सिद्धांत के तहत तर्कसंगतता और गैर-भेदभाव की कसौटी पर खरी उतरेंगी । यह याचिकाकर्ताओं के अधिकार के दावे का समर्थन करने के लिए एक अतिरिक्त आधार है।

11. औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा याचिकाकर्ताओं को उनका हक देने से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को देय राशि निगम द्वारा तुरंत भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

12. सभी रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर यमुनानगर